

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1518 /2020 दिनांक : 14 .08.2020

श्रीमती मधु शर्मा (RJ1035), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 17.03.2020 से 12.04.2020 तक 27 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 14.03.2020 से 15.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों एवं 16.03.2020 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 13.04.2020 से 22.05.2020 तक 40 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 23.05.2020 से 25.05.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर/ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर/अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।


अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

13.08.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/23/2016/ 3363 दिनांक : 14 .08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 1201 दिनांक 09.07.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती मधु शर्मा (RJ1035), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।
7. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर ।


13/8/20
सहायक रजिस्ट्रार